न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05/2015 निर्णय दिनांक:28.12.2022
ऑनलाईन नंबर 2015/00124

1. रणसिंह पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासीगण फूल तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
2. शर्मिला पत्नी जयवीर जाति जाट निवासीगण फूल तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
3. जोगेन्द्र पुत्र जयवीर नाबालिग जरिये संरक्षक अपनी माता शर्मिला पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी फूल तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
4. बबीता पुत्री जयवीर नाबालिग जरिये संरक्षक अपनी माता शर्मिला पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी फूल तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय (राजस्व) तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़।

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र सिंह मान अभिभाषक अपीलान्ट
2. एकतरफा कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खेत खसरा नंबर 1151 तादादी 8.45 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की 7.69 हैक्टेयर की खातेदारी अणचीदेवी पत्नी चिमनाराम व 0.75 हैक्टेयर की खातेदारी चिमनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासीगण शेरूणा के नाम से थी। खातेदार अणचीदेवी व चिमनाराम ने संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 4.225 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 366 में पृष्ठ सं. 82 क्रम सं. 2012002344 अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 977 के पृष्ठ सं. 229 से 244 के जरिये वादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार इसी खेत की शेष 1/2 हिस्सा भूमि यानि 4.225 हैक्टेयर भूमि मय ट्यूब वैल भूमि (विद्युत कनेक्शन सहित) को उक्त अणचीदेवी व चिमनाराम ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 366 में पृष्ठ सं. 81 क्रम सं. 2012002343 अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 977 के पृष्ठ सं. 213 से 228 के जरिये वादी संख्या 2 ता 4 के पति/पिता जयवीर को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्रों के साक्षीगण पेमाराम पुत्र चिमनाराम जाट निवासी शेरूणा, मानसिंह पुत्र लीलूराम जाट निवासी फतेहाबाद के सामने विक्रय पत्र तैयार कर अपीलान्टान के पक्ष में निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया गया व उसी दिन अपीलान्टान को कब्जा सौंप दिया गया तब से लेकर आज तक उक्त खेत पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग अपीलान्टान का चला आ रहा है। अपीलान्ट संख्या 2 ता 4 के पति/पिता जयवीर की मृत्यु दिनांक 20.05.2015 को हो गई। वर्णित खेत मौका पर एकल है। यह है कि पंजीयन विभाग से विक्रय पत्र की एक प्रति इन्तकाल दर्ज करने हेतु राजस्व विभाग (तहसीलदार) को चली जाती है जहां से भू—अभिलेख शाखा द्वारा सम्बन्धित पटवारी को इन्तकाल दर्ज करने हेतु दे दी जाती है। अपीलान्ट के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा, फिर भी अपीलान्ट ने विक्रय पत्र की एक प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को दे दी थी, उसने विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। अपीलान्टान ने अपने खरीद शुदा खेत खसरा नंबर 1151 तादादी 8.45 हैक्टेयर पर माह अप्रैल 2015 में के.सी.सी. ऋण हेतु आवश्यकता हुई तो पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं राजस्व रिकॉर्ड की नकले मांगी तो पटवारी हल्का ने बताया कि अभी तक आपके नाम कोई खातेदारी दर्ज नहीं हुई है, आप अपने पक्ष में किए गए विक्रय पत्र की प्रति सहित

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

श्रीमान् तहसीलदार महोदय (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करो जहां से मुझे विक्रय पत्र की प्रति मिल जायेगी और मैं आपके नाम इन्तकाल दर्ज करवा दूंगा, तब अपीलान्टान ने अपने खरीद शुदा खेत के सम्बन्ध में सम्पादित विक्रय पत्र की प्रति व प्रार्थना पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के समक्ष माह मई 2015 में प्रस्तुत किया। अपीलान्टान ने फिर दिनांक 13.06.2015 को हल्का पटवारी से इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल चाही तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपके खरीद शुदा खेत की इन्तकाल कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है। अपीलान्टान ने अपने खरीद शुदा कृषि भूमि के इन्तकाल बाबत प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने इन्तकाल कार्यवाही बाबत दिनांक 15.05.2012 को हल्का पटवारी शेरूणा को आदेशित किया जिसकी अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल संख्या 592 दिनांक 18.06.2012 को दर्ज कर भू–अभिलेख के अवलोकन हेतु पेश किया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2012 के मुताबिक इन्तकाल स्वीकृति हेतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के समक्ष ग्राम पंचायत की बैठक में दिनांक 20.07.2012 को हल्का पटवारी द्वारा पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना विस्तृत आदेश के बाला बाला ही राजनैतिक द्वेषतावंश अपीलान्टान के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 592 अस्वीकार किया है जबकि उक्त इन्तकाल बाबत किसी प्रकार की कोई त्रुटि या वाद विवाद नहीं था। अपीलान्टान ने उक्त कृषि भूमि गांव शेरूणा के खेत खसरा नंबर 1151 तादादी 8.45 हैक्टेयर के खातेदार अणचीदेवी पत्नी चिमनाराम व चिमनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासीगण शेरूणा से खरीद किया है तथा मौके पर कब्जा काश्त क्रेतागण (अपीलान्टान) का चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टान से दुर्भावना व राजनैतिक द्वेषतावंश बिना किसी उचित व ठोस आधार के केवलमात्र यह नोट अंकित कर दिया कि ग्राम पंचायत के कार्य संख्या 03 दिनांकित 20.06.2012 की पालना में वास्ते जांच लम्बित रखा गया फिर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.07.2012 में कार्य सं. 02 दिनांक 20.07.2012 की पालना में अस्वीकृत लिख दिया गया। यानि उक्त इन्तकाल कार्यवाही को बिना किसी उचित कारण के सिर्फ अपीलान्टान को हैरान–परेशान करने व खर्चे से जैरबार करने की नीयत से अस्वीकृत किया गया है जबकि ग्राम पंचायत ने नामान्तरण अस्वीकार करने से पूर्व अपीलान्टान को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का नोटिस देकर जवाब तलब नहीं किया व बाला बाला ही नामान्तरण अस्वीकृत किए जाने का नोट अंकित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विक्रय पत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की ना ही विक्रय पत्र के क्रेता–विक्रेता व किसी गवाहान से कोई पूछताछ की ना ही वादगत खेत के सम्बन्ध में कोई मौका की जांच की। उक्त इन्तकाल संख्या 592 शुरू से ही अपीलान्टान के हक हितों के समक्ष निष्प्रभावी व विधि विरूद्ध व निष्प्रभावी है। उक्त इन्तकाल को तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने कोई जांच नहीं की ना ही अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर दिया गया। रेस्पोडेन्टान ने बाला बाला ही उक्त इन्तकाल की कार्यवाही निष्पादित कर अपीलान्टान को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया है तथा उक्त इन्तकाल को अपीलान्टान अपने अधिकारों के समक्ष शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। यह है कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत बिना किसी जांच के पारित किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि मातहत ग्राम पंचायत अर्थात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कानून एवं नियमों की इन्तकाल जैर अपील अस्वीकार फरमाते समय कोई पालना नहीं की इसलिए भी आदेश जैर अपील निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह है कि अपीलान्ट को दिनांक 17.06.2015 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने से अपीलान्ट का नामान्तरणकरण खारिज करने की जानकारी हुई जिसके आधार पर अपीलान्ट जानकारी होने पर व प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल होने पर अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है कि वादगत खेत खसरा नंबर 1151 तादादी 8.45 हैक्टेयर भूमि रोही मौजा शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में स्थित होने से श्रीमान्‌जी को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर उचित न्याय शुल्क पर अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह है कि विशेष वजुहात बयानी जरूरत बवक्त अर्ज किए जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इन्तकाल सं. 592 जो कि दिनांक 20.07.2012 को इन्तकाल अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमाई जावे व रेस्पोडेन्ट सं. 2 को इन्तकाल सं. 592 तस्दीक करने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जवाब पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं का कथन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत शेरूणा ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 मे कथन किया गया है कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण रोही शेरूणा का संख्या 592 जो ग्राम पंचायत कि कार्यवाही संख्या 3/20.06.2022 की पालना में लम्बित रखा गया था जिसमें खरीदार पक्ष का मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त होनें संबंधित कोई सूचना ग्राम पंचायत के पास नहीं है नही खरीदकर्ता जो राजस्थान प्रदेश से बाहर हरियाणा प्रदेश का है उसने कब्जे संबंधी सुचना दी है न ही राजस्थान व हरियाणा सरकारों के समय-समय पर अन्य प्रदेशों कृषि भूमि खरीदने के प्रतिबन्ध में संबंधित सन्तुष्टि की सूचना ग्राम पंचायत को दी है ऐस में य लम्बित नामान्तरण निर्धारित अवधि की पालना में अस्वीकृत किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण अस्वीकृत किये जाने के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का हवाला नही दिया गया है। जबकि पटवारी हल्का शेरूणा द्वारा दिनांक 18.06.2012 को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर भू.अ.निरीक्षक सूडसर को वास्ते जांच एवं उचित निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। भू.अ.निरीक्षक सूडसर द्वारा दिनांक 19.06.2012 को रिकार्ड से मिलान कर अंकन सही होना पाया गया। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की कार्य. संख्या 2 दिनांक 20.07.2012 की पालना में बिना कोई उचित कारण के इन्तकाल खारिज किया गया है। जबकि क्रेता एवं विक्रतागण दोनो ही एक ही जाति के सदस्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है।

आदेश

रोही ग्राम शेरूणा के खसरा नंबर 1151 के संबंध में इन्तकाल संख्या 592 दिनाक 20.07.2012 को निरस्त किया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2012 के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)